


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2016/आषाढ़ 30, 1938

No. 504]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2016/ ASADHA 30, 1938

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 712(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता मामले विभाग [निदेशक (विधिक माप विज्ञान)] भर्ती नियम, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले विभाग [निदेशक (विधिक माप विज्ञान)] भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. उपभोक्ता मामले विभाग [निदेशक (विधिक माप विज्ञान)] भर्ती नियम, 2005 की अनुसूची में-
(क) स्तंभ 12 में, निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद के सामने “प्रोन्नति” शीर्षक के अधीन और “टिप्पण” से पहले, विद्यमान प्रविष्टि को संख्यांक “(i)” दिया जाएगा तथा प्रविष्टि के अन्त में “और” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा और पुनर्संख्यांकित की गई प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से, स्थापन नियमों, वित्तीय नियमों और विधिक माप विज्ञान से सम्बन्धित नियमों में, चार सप्ताह का प्रशिक्षण”।

[सं. ए-12018/1/2015-स्थापना]

एम. ए. चौधरी, अवर सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 293, तारीख 25 अगस्त, 2005 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2016

G.S.R. 712(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Consumer Affairs [Director (Legal Metrology)] Recruitment Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Department of Consumer Affairs [Director (Legal Metrology)] Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Consumer Affairs [Director (Legal Metrology)] Recruitment Rules, 2005, in the Schedule, -

(a) against the post of Director (Legal Metrology), in column 12, under the heading “Promotion” and before the “Note”, the existing entry shall be numbered as “(i)” and at the end of the entry, the word “;and” shall be inserted and after the entry as so numbered, the following entry shall be inserted, namely:—

“(ii) four weeks training in Establishment Rules, Financial Rules and Rules relating to the Legal Metrology from the recognised Institutes”.

[F. No. A-12018/1/2015-Estt.]

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R. 293, dated the 25th August, 2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 713(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता मामले विभाग, उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) और सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) भर्ती नियम, 2008 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले विभाग, उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) और सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. उपभोक्ता मामले विभाग, उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) और सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) भर्ती नियम, 2008 की अनुसूची में-

(क) क्रम संख्या 1 में, उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद से सम्बन्धित स्तंभ 12 में, “प्रोन्नति” शीर्षक के अधीन और “टिप्पण” से पहले, विद्यमान प्रविष्टि को संख्यांक “(i)” दिया जाएगा तथा प्रविष्टि के अन्त में “;और” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा और पुनर्संख्यांकित की गई प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से, स्थापन नियमों, वित्तीय नियमों और विधिक माप विज्ञान से सम्बन्धित नियमों में, चार सप्ताह का प्रशिक्षण”।

(ख) क्रम संख्या 2 में, सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद से सम्बन्धित स्तंभ 12 में, “प्रोन्नति” शीर्षक के अधीन और “टिप्पण” से पहले, विद्यमान प्रविष्टि को संख्यांक “(i)” दिया जाएगा तथा प्रविष्टि के अन्त में “;और” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा और पुनर्संख्यांकित की गई प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से, स्थापन नियमों, वित्तीय नियमों और विधिक माप विज्ञान से सम्बन्धित नियमों में, चार सप्ताह का प्रशिक्षण”।

[संख्या ए-12018/1/2015-स्थापना]

एम. ए. चौधरी, अवर सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 157 तारीख 20 अगस्त, 2008 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2016

G.S.R. 713(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Consumer Affairs, Deputy Director (Legal Metrology) and Assistant Director (Legal Metrology) Recruitment Rules, 2008, namely:-

1. (1) These rules may be called the Department of Consumer Affairs, Deputy Director (Legal Metrology) and Assistant Director (Legal Metrology) Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Consumer Affairs, Deputy Director (Legal Metrology) and Assistant Director (Legal Metrology) Recruitment Rules, 2008, in the Schedule, -

(a) against serial number 1 relating to the post of Deputy Director (Legal Metrology), in column 12, under the heading “Promotion” and before the “Note”, the existing entry shall be numbered as “(i)” and at the end of the entry, the word “;and” shall be inserted and after the entry as so numbered, the following entry shall be inserted, namely:-

“(ii) four weeks training in Establishment Rules, Financial Rules and Rules relating to the Legal Metrology from the recognised Institutes”.

(b) against serial number 2 relating to the post of Assistant Director (Legal Metrology), in column 12, under the heading “Promotion” and before the “Note”, the existing entry shall be numbered as “(i)” and at the end of the entry, the word “;and” shall be inserted and after the entry as so numbered, the following entry shall be inserted, namely:-

“(ii) four weeks training in Establishment Rules, Financial Rules and Rules relating to the Legal Metrology from the recognised Institutes”.

[F. No. A-12018/1/2015-Estt.]

M.A. CHAUDHURY, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R. 157, dated the 20th August, 2008.